संख्या–361 / 1–10–2011–12(24) / 2010

प्रेषक

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

P.O. I
feed n/
03/02/11

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः 02 फरवरी, 2011

विषयः वर्ष 2009–10 में सूखा से प्रभावित कृषकों की क्षतिग्रस्त/नष्ट फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु अवशेष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अ0शा0प्र0सं0: 1187/ मु0रा0आ0–03(13)/दै0आ0/ 2010–11 दिनांक 28 जनवरी, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में सूखा से 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति हेतु कृषको की कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु अतिरिक्त कुल धनराशि रू0 3,84,25,240/– (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार दो सौ चालीस मात्र) की मांग की गई है। पूर्व में शासनादेश संख्या 3258/1–10–2009–12(72)/2009 दिनांक 04 सितम्बर, 2009 द्वारा रू0 12,42,00,000/– कृषि निवेश अनुदान एवं शासनादेश संख्या 4238/1–10–2009–12(72)/2009 दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 द्वारा रू0 24,88,75,000/– कृषि निवेश एवं सूखा राहत की मानक मद में आवंटित किये गये थे। इस प्रकार कुल धनराशि वर्ष 2009–10 में रू0 37,30,75,000/– आवंटित की गई थी परन्तु उक्त आवंटित धनराशि में से रू0 32,45,99,310/– कोषागार से आहरित कर आप द्वारा व्यय की गई। जबकि रू0 4,84,75,690/– धनराशि समर्पित की गई। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में सूखे से प्रभावित कृषको की क्षतिग्रस्त/नष्ट फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु धनराशि रू0 3,84,25,240/–(रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख पच्चीस हजार दो सौ चालीस मात्र) निम्नाकित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3 आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि सूखा से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान भारत सरकार के गृह मत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइड लाइन संख्या 32–34/2007–एन0डी0एम–1 दिनांक 27 जून,2007 में दिये गये मानको के अनुसार वितरित किया जाएगा।

4 उक्त स्वीकृति धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2009–10 में सूखा से प्रभावित कृषकों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा। बिना बोए हुए क्षेत्र अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति का प्लाटवार सर्वेक्षण/रिलीफ खतौनी तैयार की जाएगी। तैयार की गयी रिलीफ खतौनी के आधार पर उन्हीं पात्र कृषकों को धनराशि वितरित की जाएगी जिनकी फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की वास्तविक क्षति हुई है।

5 कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धी धनराशि का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाय।

6 जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी (भू–लेख निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ–साथ राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी की भी तैनाती करेंगे जो अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी का प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या के प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को अति शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

7 आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। राहत आयुक्त की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर साप्ताहिक व्यय हुई धनराशि का अनिवार्य रूप से फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र शासन को लौटती डाक से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। यदि आवंटित धनराशि में से बचत संभावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8 उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9 देवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा राजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

10 व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11 कृपया उक्त निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या– संख्या–361 / 1–10–20 –12(24) / 2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त झांसी।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व, परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।
5. वित्त–व्यय नियंत्रण अनुभाग–8
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत वेबसाइट पर अप लॉड किए जाने हेतु।
8. राजस्व अनुभाग 11
9. चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव